98/2.45

संख्या– 1513 /II–2017–03(37)/2013

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग **देहरादून : दिनांक 31 जुलाई, 2017**

विषय:– वित्तीय वर्ष 2017–18 में टी0एस0पी0 नलकूप निर्माण (राज्य सैक्टर) के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड रामनगर में 03 संख्या राजकीय नलकूपों (स्थान पीपलसाना, वीरपुरलच्छी एवं वीरपुरताला) के निर्माण की की निर्माणाधीन योजना की वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2268/प्र0अ0/बजट/बी–1 (सामान्य) दिनांक 18 जुलाई, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 3228/–II–2014–03(37)/2013, दिनांक 18 फरवरी, 2014 द्वारा स्वीकृत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड रामनगर में 03 संख्या राजकीय नलकूपों (स्थान पीपलसाना, वीरपुरलच्छी एवं वीरपुरताला) के निर्माण की निर्माणाधीन योजना स्वीकृत लागत रू0 196.45 लाख के सापेक्ष पूर्व अवमुक्त धनराशि की व्यय प्रगति के दृष्टिगत योजना की अवशेष लागत रू0 86.45 लाख के विरूद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 70.00 लाख (रू0 सत्तर लाख मात्र) की धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जायेगा, धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहां कही आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय।

(ii) धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार चालू कार्यों में ही किस्तों में किया जायेगा।

(iii) धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

(iv) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

(v) जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

(vi) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(vii) उक्तानुसार आवंटित धनराशि को तत्काल कार्यदायी संस्था/आहरण वितरण अधिकारी को अवमुक्त कर दी जाय, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

..2..

(viii) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(ix) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 610/3(150)XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

2 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–04–नलकूपों का निर्माण–796–जनजाति उपयोजना–03– अन्य रखरखाव व्यय– 24 वृहद निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1513(1)/ / II–2017–03(37)/2013तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, दे0दून ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. आयुक्त, कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून/नैनीताल
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
11. वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, देहरादून।
12. सम्बन्धित सिंचाई खण्ड द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई, उत्तराखण्ड।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव